आवास और शहरी कार्य मंत्रालय मांग संख्या 56 आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

				वास्तवि	वास्तविक 2017-2018			ৰजट 2018-2019			ਪੇਰ 2018-20	19	ਕ ਤਟ 2019-2020			
				राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
			कुल	25260.00	15346.47	40606.47	25598.15	16415.85	42014.00	32708.67	17010.33	49719.00	35513.10	19544.34	55057.44	
			<u>वसूलियां</u>	-545.45		-545.45	-248.42	-0.45	-248.87	-6753.42	-0.45	-6753.87	-7025.26	-0.01	-7025.27	
			ू प्राप्तियां				•••									
			निवल	24714.55	15246 47	40064-02	25349.73	16415.40	4476E 42		17000 88	4206E 42	28487.84	10544 22	40022 47	
-				247 14.55	13340.47	40061.02	25349.73	10413.40	41/05.13	20900.20	17009.00	42905.13	20401.04	19544.33	40032.17	
क. वसूलियों को प	यटाने के ब	ाद बजट आबंटन इस प्रकार है:														
केंद्र का व्यय																
केन्द्र का स्थ	ापना व्य	स्य														
	सचिवालय															
	1.01	सचिवालय		10.59		10.59										
	1.02	अंतर्राष्ट्रीय अंशदान		1.36		1.36	2.05		2.05	2.05		2.05	1.40		1.40	
	जोड़- सर्चि	वेवालय		11.95		11.95	2.05		2.05	2.05		2.05	1.40		1.40	
2.	सचिवालय	7														
	2.01	सचिवालय		80.69		80.69	97.11		97.11	97.11	•••	97.11	97.72		97.72	
			निवल	80.69		80.69	97.11		97.11	97.11		97.11	97.72		97.72	
	2.02	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (प्रशिक्षण संस्थान, आर एंड डी और कम्प्यूटरीकरण सहित)		1069.40		1069.40	1228.56		1228.56	1229.81		1229.81	1159.31		1159.31	
	2.03	संपदा निदेशालय		60.54		60.54	68.39		68.39	68.29		68.29	69.18		69.18	
	2.04	भूमि और विकास कार्यालय की स्थापना		11.03		11.03	12.04		12.04	13.11		13.11	11.93		11.93	
	जोड़- सर्चि	वेवालय		1221.66		1221.66	1406.10		1406.10	1408.32		1408.32	1338.14		1338.14	
3.	संबद्ध कार	र्गालय/स्वायत्त संगठन														
	3.01	नगर और ग्राम योजना संगठन		10.64		10.64	12.12		12.12	12.12		12.12	12.08		12.08	
	3.02	राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान		4.80		4.80	5.10		5.10	5.10		5.10	5.10		5.10	
	3.03	दिल्ली शहरी कला आयोग		3.50		3.50	3.92		3.92	3.92		3.92	3.95		3.95	
	3.04	नगरपालिका के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु सहायता अनुदान		11.44		11.44	15.00		15.00	15.00		15.00	14.11		14.11	
	3.05	एनसीआर आयोजना बोर्ड		54.70		54.70	55.06		55.06	55.56		55.56	55.10		55.10	
	3.06	विभागीय कैंटीन सहित राजघाट समाधि समिति		7.18		7.18	10.24		10.24	16.47		16.47	9.30		9.30	

											(र कराइ)			
		वास्तवि	क 2017-20	18	बजट	2018-2019	9	संशोधि	ਜ 2018-20	19	बजट	2019-2020)	
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
	3.07 भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी)				•••						5.00		5.00	
	3.08 केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन										0.10		0.10	
	3.09 राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन										4.08		4.08	
ज	ोड़- संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त संगठन	92.26		92.26	101.44		101.44	108.17		108.17	108.82		108.82	
जोड़-केन्द्र का	स्थापना व्यय	1325.87		1325.87	1509.59		1509.59	1518.54		1518.54	1448.36		1448.36	
	ो स्कीमें/परियोजनाएं स और मेट्रो परियोजनाएं													
	ल्ली मेट्रो रेल निगम को अनुदान	146.23	***	146.23	50.00	***	50.00	50.00		50.00	414.70		414.70	
5. में	ट्रो परियोजनाएं													
	5.01 इक्किटी निवेश		3248.77	3248.77	***	2341.00	2341.00	***	2341.00	2341.00		3815.00	3815.00	
	5.02 अधीनस्थ ऋण		1493.67	1493.67		1550.00	1550.00		1550.00	1550.00		1684.00	1684.00	
	5.03 पास श्रू सहायता		9067.56	9067.56		10373.60	10373.60		10973.60	10973.60		12214.93	12214.93	
ज	ोड़- मेट्रो परियोजनाएं		13810.00	13810.00		14264.60	14264.60		14864.60	14864.60		17713.93	17713.93	
6. থা	हरी परिवहन में परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण	21.82		21.82	26.30		26.30	26.30		26.30	49.11		49.11	
7. रा	ष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम					659.00	659.00		659.00	659.00	274.25	700.00	974.25	
8. वैर्ा	श्वेक पर्यावरण सुविधा	0.04		0.04	0.10		0.10	0.10		0.10	0.01		0.01	
जोड़-एमआर	टीएस और मेट्रो परियोजनाएं	168.09	13810.00	13978.09	76.40	14923.60	15000.00	76.40	15523.60	15600.00	738.07	18413.93	19152.00	
9. रा	ष्ट्रीय विरासत शहर विकास और सुदृढ़ीकरण योजना (हृदय)	108.49		108.49	161.50		161.50	161.50		161.50				
सामान्य पूर	न आवास													
10. आ	वासीय													
•	10.01 आवासीय	1013.61	708.67	1722.28	931.50	764.75	1696.25	931.50	760.76	1692.26	970.63	581.95	1552.58	
11. गै	र-आवासीय													
•	11.01 गैर-आवासीय	815.38	827.47	1642.85	778.05	675.00	1453.05	780.80	673.47	1454.27	833.95	500.00	1333.95	
		-3.70		-3.70	-15.41	-0.45	-15.86	-15.41	-0.45	-15.86	-3.99	-0.01	-4.00	
	निव	ल 811.68	827.47	1639.15	762.64	674.55	1437.19	765.39	673.02	1438.41	829.96	499.99	1329.95	
जोड़-सामान्य	य पूल आवास	1825.29	1536.14	3361.43	1694.14	1439.30	3133.44	1696.89	1433.78	3130.67	1800.59	1081.94	2882.53	
पूर्वोत्तर क्षेत्र	ा में परियोजनाएं													
12. पूर	र्वोत्तर क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना (एनईआरयूडीपी)													
,	12.01 भारत सरकार का अंशदान	60.53	***	60.53	56.00	52.00	108.00	56.00	52.00	108.00	55.40	12.30	67.70	
,	12.02 ईएपी घटक	168.32	***	168.32	142.00	***	142.00	142.00		142.00	182.30		182.30	
जे. ज	ोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना (एनईआरयूडीपी)	228.85		228.85	198.00	52.00	250.00	198.00	52.00	250.00	237.70	12.30	250.00	
13. पूर	र्वोत्तर में अन्य परियोजनाएं	146.85		146.85	150.00		150.00	150.00	•••	150.00	150.00	•••	150.00	
जोड़-पूर्वोत्तर	ः क्षेत्र में परियोजनाएं	375.70		375.70	348.00	52.00	400.00	348.00	52.00	400.00	387.70	12.30	400.00	
14. चै	म्पियन सेवाएं क्षेत्र योजना - निर्मल कौशल विकास योजना										0.01		0.01	

			वास्तवि	क 2017-20	18	ਕ ਤਟ 2018-2019			संशोधि	त 2018-20°	19	बजट)	
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	स्कीमें/परियोजनाएं		2477.57	15346.14	17823.71	2280.04	16414.90	18694.94	2282.79	17009.38	19292.17	2926.37	19508.17	22434.54
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य	· व्यय													
सांविधिक और विनियामक														
15. लेखन साम	ग्री नियंत्रक		37.67		37.67	57.15	***	57.15	57.16		57.16	43.75	***	43.75
			-4.97		-4.97	-3.00	•••	-3.00	-3.00		-3.00	-3.00		-3.00
		निवल	32.70		32.70	54.15		54.15	54.16		54.16	40.75		40.73
16. मुद्रणालय			163.66	0.33	163.99	205.45	0.50	205.95	199.21	0.50	199.71	189.84	36.16	226.00
			-140.05		-140.05	-220.01		-220.01	-220.01		-220.01	-160.01		-160.0
		निवल	23.61	0.33	23.94	-14.56	0.50	-14.06	-20.80	0.50	-20.30	29.83	36.16	65.9
17. अन्य संगठन	न		23.46		23.46	9.05		9.05	9.05		9.05	4.37	•••	4.3
			-1.07	***	-1.07	-10.00	***	-10.00	-10.00		-10.00	-5.00		-5.00
		निवल	22.39		22.39	-0.95		-0.95	-0.95		-0.95	-0.63		-0.6
18. प्रकाशन नियंत्रक		27.42	***	27.42	37.46	***	37.46	37.46		37.46	39.90		39.90	
जोड़-सांविधिक और	विनियामक निकाय		106.12	0.33	106.45	76.10	0.50	76.60	69.87	0.50	70.37	109.85	36.16	146.0°
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का	अन्य व्यय		106.12	0.33	106.45	76.10	0.50	76.60	69.87	0.50	70.37	109.85	36.16	146.01
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों क केंद्रीय प्रायोजित यो	जनाएं													
	योजना (पीएमएवाई)													
	ई-शहरी (सीआरआईएफ से वित्त पोषित योजनाएं)													
19.01	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) हेतु ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)- ।		1200.00		1200.00	1000.00		1000.00	1300.00		1300.00	600.00		600.00
19.02			600.00		600.00	900.00		900.00	600.00		600.00	400.00		400.0
19.03	क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी)					15.00		15.00	0.01		0.01	0.01		0.0
19.04	समावेशी शहरी अभिशासन हेतु संस्थागत विकास		6.67		6.67	14.08		14.08	14.08		14.08	5.00		5.00
19.05	केंद्रीय घटक की अन्य मदें		49.34		49.34	74.00		74.00	88.99		88.99	166.92		166.92
19.06	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मदें		6735.30		6735.30	4501.92		4501.92	4501.92		4501.92	2681.33		2681.3
19.07	ईबीआर के जरिए लिए गए ऋण के लिए ब्याज की अदायगी								0.01		0.01	3000.00		3000.0
19.08	सीआरआईएफ को अंतरण								6505.00		6505.00	6853.26	***	6853.20
	सीआरआईएफ से पूरा किया गया						•••		-6505.00		-6505.00	-6853.26	•••	-6853.20
19.09														

							1			ı	<i>(र कराड़)</i>			
		वास्तविव	雨 2017-20 ′	18	बजट	2018-2019	9	संशोधि	ਜ 2018-20 <i>°</i>	19	बजट)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
20.	0. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)													
	20.01 केंद्रीय घटक	20.04		20.04	15.56		15.56	15.80		15.80	68.95		68.95	
	20.02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक	578.61		578.61	294.44		294.44	494.20		494.20	681.05		681.05	
	जोड़- दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)	598.65		598.65	310.00		310.00	510.00		510.00	750.00		750.00	
21.	l. वास्तविक वसूलियां	-386.34		-386.34										
शहरी	री पुनर्जागरण अभियान : अमृतऔर स्मार्ट सिटी मिशन													
22.	2. अमृत अटल पुनरुज्जीवन और शहरी सुधार मिशन													
	22.01 शहरी पुनरुज्जीवन मिशन - 500 शहर	4925.32		4925.32	6000.00		6000.00	6400.00		6400.00	7300.00		7300.00	
	22.02 उप-शहरों/काउंटर मैगनेट शहर में शहरी अवसंचना विकास	6.92		6.92										
	22.03 शहरी और स्थानीय निकायों के लिए क्षमता निर्माण (सी-बल्ब)	0.77		0.77										
	22.04 राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली	3.14		3.14										
	जोड़- अमृत अटल पुनरुज्जीवन और शहरी सुधार मिशन	4936.15		4936.15	6000.00		6000.00	6400.00		6400.00	7300.00		7300.00	
23.	3. स्मार्ट सिटी मिशन													
	23.01 100 स्मार्ट शहरों के विकास का मिशन	4505.48	***	4505.48	6000.00	***	6000.00	5970.00		5970.00	6073.26		6073.26	
		-9.31	***	-9.31		***		***			***			
	निवर	न 4496.17	***	4496.17	6000.00	***	6000.00	5970.00		5970.00	6073.26		6073.26	
	23.02 शहरी विकास हेतु क्षमता निर्माण (सी-बड)	30.25	***	30.25	169.00	***	169.00	164.01		164.01	***			
	23.03 नवाचार, एकीकरण और धारणीयता के लिए नगरीय निवेश (सीआईटीआईआईएस)							35.03		35.03	376.74		376.74	
	जोड़- स्मार्ट सिटी मिशन	4526.42		4526.42	6169.00		6169.00	6169.04		6169.04	6450.00		6450.00	
	-शहरी पुनर्जागरण अभियान : अमृतऔर स्मार्ट सिटी मिशन	9462.57	•••	9462.57	12169.00	•••	12169.00	12569.04	•••	12569.04	13750.00	•••	13750.00	
स्वच्छ	न्छ भारत मिशन													
24.														
	24.01 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से वित्तपोषित योजनाएं - केंद्रीय घटक	174.17		174.17										
	24.02 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से वित्तपोषित योजना - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक	2364.63	•••	2364.63				***	•••			•••		
	24.03 कुल बजट सहायता				2500.00		2500.00	2500.00		2500.00	2650.00		2650.00	
	जोड़- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी	2538.80		2538.80	2500.00		2500.00	2500.00		2500.00	2650.00		2650.00	
जोड़-केंद्रीय	ोय प्रायोजित योजनाएं	20804.99		20804.99	21484.00		21484.00	22084.05		22084.05	24003.26		24003.26	
कुल जोड़	r	24714.55	15346.47	40061.02	<i>25349.73</i>	16415.40	41765.13	25955.25	17009.88	42965.13	28487.84	19544.33	48032.17	
ख. विकास शी	गीर्थ													
सामान्य सेवा	ग एं													
1.	. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	91.28	***	91.28	97.11	***	97.11	97.11	***	97.11	97.72		97.72	
2.	2. लेखन सामग्री और छपाई	98.99	***	98.99	77.33	***	77.33	71.10	***	71.10	110.78		110.78	
3.	3. लोक निर्माण कार्य	1899.22		1899.22	2013.48		2013.48	2024.78		2024.78	2010.50		2010.50	

									[(4/(1.5))			
	वास्त	विक 2017-20	18	ਭ ਤਟ 2018-2019			संशो	ਪੈ ਰ 2018-20	19	बजर	ट 2019-2020	0
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
 लेखन सामग्री और छपाई पर पूंजी परिव्यय 		0.33	0.33		0.50	0.50		0.50	0.50		36.16	36.16
 लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय 		813.24	813.24		652.55	652.55		650.99	650.99		474.99	474.99
जोड़-सामान्य सेवाएं	2089.49	813.57	2903.06	2187.92	653.05	2840.97	2192.99	651.49	2844.48	2219.00	511.15	2730.15
सामाजिक सेवाएं												
6. सामान्य शिक्षा	7.13		7.13	-1.23		-1.23	-1.23		-1.23	-0.93		-0.93
7. आवास	2545.25		2545.25	3005.02		3005.02	3004.93		3004.93	5222.32		5222.32
8. शहरी विकास	757.38		757.38	1167.50		1167.50	1138.01		1138.01	1684.25		1684.25
9. आवास पर पूंजी परिव्यय		708.67	708.67		764.75	764.75		760.76	760.76		581.95	581.95
10. शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय		3248.77	3248.77		3000.00	3000.00		3000.00	3000.00		3815.00	3815.00
11. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		11.92	11.92		20.00	20.00		20.02	20.02		23.00	23.00
12. शहरी विकास के लिए ऋण		10561.23	10561.23		11923.60	11923.60		12523.60	12523.60		14598.93	14598.93
जोड़-सामाजिक सेवाएं	3309.76	14530.59	17840.35	4171.29	15708.35	19879.64	4141.71	16304.38	20446.09	6905.64	19018.88	25924.52
आर्थिक सेवाएं												
13. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	20.04		20.04	15.08		15.08	15.32		15.32	23.52		23.52
14. नौवहन पर पूंजी परिव्यय		2.31	2.31		2.00	2.00		2.01	2.01		2.00	2.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	20.04	2.31	22.35	15.08	2.00	17.08	15.32	2.01	17.33	23.52	2.00	25.52
अन्य												
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र				1158.57		1158.57	1203.57		1203.57	1296.56		1296.56
16. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	19090.43		19090.43	17487.17		17487.17	18070.95		18070.95	17273.90		17273.90
17. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	204.83		204.83	329.70		329.70	330.71		330.71	769.22		769.22
18. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम					52.00	52.00		52.00	52.00		12.30	12.30
जोड़-अन्य	19295.26		19295.26	18975.44	52.00	19027.44	19605.23	52.00	19657.23	19339.68	12.30	19351.98
कुल जोड़	24714.55	15346.47	40061.02	25349.73	16415.40	41765.13	25955.25	17009.88	42965.13	28487.84	19544.33	48032.17
												(₹ करोड़,
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जो	बजट इ सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र आयोजना बोर्ड		223.02	223.0	2	1315.00	1315.00		1411.00	1411.00	***	1125.00	1125.00
2. आवासन एवं शहरी विकास निगम		16817.82	16817.8		13040.00	13040.00			17500.00		47500.00	
 मेट्रो एवं एमआरटीएस परियोजनाएं 	13810.00	1880.41	15690.4		1897.48	16162.08	14864.60		15643.50	17713.93		
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम				659.00		659.00	659.00		659.00	700.00		700.00
	l			1		230.00	333.00		- 30.00	. 55.00		. 55.00

												(₹ करोड़)
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
जोड़	13810.00	18921.25	32731.25	14923.60	16252.48	31176.08	15523.60	19689.90	35213.50	18413.93	19412.63	37826.56

- 1.01. **सचिवालय:** यह प्रावधान तत्कालीन एचयूपीए मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए है। इसमें नेशनल बिल्डिंग संगठन, मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय और केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन को अनुदान पर खर्च भी शामिल है।
- 1.02. **अंतर्राष्ट्रीय अंशदान:** इस प्रावधान में राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार फोरम और एशिया प्रशांत क्षेत्र के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आवास एवं शहरी विकास पर करने के लिए मानव बस्तियों और वार्षिक सदस्यता शुल्क के लिए संयुक्त राष्ट्र के केंद्र के लिए अंशदान भी शामिल है।
- 2.01. **सचिवालय:** यह प्रावधान राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार के मंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंशदान सहित शहरी विकास मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है जिसमें राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार फोरम तथा केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन को अंतर्राष्ट्रीय अंशदान शामिल है।
- 2.02. **केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (प्रशिक्षण संस्थान, आर एंड डी और कम्प्यूटरीकरण सहित):** यह प्रावधान प्रशिक्षण संस्थान और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कम्प्यूटरीकरण सहित सीपीडब्ल्यूडी के सचिवालय के कंप्यूटरीकरण, स्थापना व्यय पर खर्च के लिए है।

संपदा निदेशालय: यह प्रावधान संपदा निदेशालय के कम्प्यूटरीकरण और सचिवालय व्यय के लिए है।

- 2.04. **भूमि और विकास कार्यालय की स्थापना:** यह प्रावधान भूमि एवं विकास कार्यालय की स्थापना व्यय के लिए है।
- संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त संगठन: 3.1-3.6

यह प्रावधान नगर और ग्राम आयोजना संगठन, जो शहरी और क्षेत्रीय योजना के साथ और शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान है, दिल्ली शहरी कला आयोग, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और राजघाट समाधि समिति के लिए है।

- 3.07. भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी): यह भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) अनुदान के लिए है।
 - 3.08. केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन: यह केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन को अनुदान के लिए है।
 - 3.09. **राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन:** यह राष्ट्रीय भवन संगठन के लिए अनुदान और अन्य व्यय के लिए है।
 - दिल्ली मेट्रो रेल निगम को अनुदान: यह प्रावधान दिल्ली मेट्रो रेल निगम को अनुदान के लिए है।
 - मेट्रो परियोजनाएं: 5.01-5.03

ये प्रावधान दिल्ली मेट्रो रेल निगम, बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, कोलकाता मेट्रो रेल निगम, मुंबई मेट्रो, जयपुर मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, विजाग मेट्रो , विजयवाड़ा मेट्रो, अहमदाबाद मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, नागपुर मेट्रो, पुणे मेट्रो , नोएडा - ग्रेटर नोएडा मेट्रो एवं अन्य मेट्रो रेल परियोजनाओं की इक्विटी, ऋण, पासश्रू सहायता के लिए हैं।

- 6. **शहरी परिवहन में परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण:** यह प्रावधान परिवहन योजना और क्षमता निर्माण की योजना के लिए
 - 7. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम:** प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में इक्किटी निवेश के लिए है।
 - 8. **वैश्विक पर्यावरण सुविधा:** प्रावधान वैश्विक पर्यावरण कोष की योजना के लिए है।
- 9. **राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और सुदृढ़ीकरण योजना (हदय):** प्रावधान राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना के लिए है। इसका लक्ष्य सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षी, पहुंच वाले, सूचनात्मक और सुरक्षित माहौल को बढ़ावा देकर शहर की विशिष्टता दर्शाने हेतु धरोहर शहर की विशेषता को संरक्षित करना और पुनरूद्धार करना है।
- 10. **आवासीय:** प्रावधान सरकारी आवासीय के निर्माण और रखरखाव के लिए है। इसमें अनुरक्षण और मरम्मत सुख्य/लघु लघु निर्माण कार्य, साज-सज्जा वर्क्स, फर्निशिंग, किराए, लीज के खर्च आदि शामिल है।
- 11.01. **गैर-आवासीय:** प्रावधान गैर-आवासीय कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए है, जिसमें राष्ट्रपति भवन, संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय आदि शामिल है। इसमें मरम्मत और रख-रखाव, मुख्य/लघु कार्य, साज-सज्जा , किराया और लीज प्रभार भी शामिल हैं।
- 12. **पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना (एनईआरयूडीपी):** प्रावधान एडीबी के माध्यम से सहायता प्राप्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र शहरी विकास परियोजना के लिए है।
 - 13. **पूर्वोत्तर में अन्य परियोजनाएं:** प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं के लिए है।
- पै.
 चैम्पियन सेवाएं क्षेत्र योजना निर्माल कौशल विकास योजना:
 यह प्रावधान चैम्पियन सेवाएं क्षेत्र योजना निर्माण कौशल विकास

 योजना के लिए है
- 15. **लेखन सामग्री नियंत्रक:** लेखन सामग्री नियंत्रक केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के लिए लेखन सामग्री और भण्डार की खरीद और आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।

- 16. **मुद्रणालय:** प्रावधान सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के लिए अभिचिह्नित हैं। इसमें टेक्स्ट बुक मुद्राणालय भी शामिल हैं जो थोक में सरकारी मद्रण कार्य करते हैं।
- 17. **अन्य संगठन:** प्रावधान अन्य संगठनों के लिए है, जिसमें मुद्रण निदेशालय ,पर्चा स्टोर, छपाई निजी प्रेस के माध्यम से और टेक्स्ट बुक प्रेस के लिए प्रावधान शामिल है।
 - 18. **प्रकाशन नियंत्रक:** प्रकाशन नियंत्रक एक केंद्रीय संगठन है जो सरकारी प्रकाशनों को एकत्रित, वितरित तथा विक्रय करता है।
- 19. **पीएमएवाई-शहरी (सीआरआईएफ से वित्त पोषित योजनाएं):** प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए योजना है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक हर परिवार के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
- 19.01. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) हेतु ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)-।:** यह प्रावधान क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सी एल एस एस) -l के तहत ईडब्ल्यूएस / एलआईजी वर्ग के लिए आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए है।
- 19.02. **मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)-।।:** यह प्रावधान क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)-।। के तहत MIG के लिए आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए है।
- 19.03. **क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी):** क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी) के तहत प्रावधान अनुसूचित वाणिज्यिक / सहकारी बैंकों द्वारा समपाश्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना इस तरह के आवास ऋणों के लिए प्रभावी गारंटी प्रदान करना है।
 - 19.04. **समावेशी शहरी अभिशासन हेत् संस्थागत विकास:** यह प्रावधान समावेशी शहरी अभिशासन के लिए संस्थागत विकास के लिए है।
- 19.05. **केंद्रीय घटक की अन्य मर्दे:** यह प्रावधान स्थापना व्यय, क्षमता निर्माण गतिविधियों और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्य विविध केंद्रीय घटक के लिए है।
- 19.06. **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मर्दे:** प्रावधान पी एम ए वाई (यू) की इस योजना के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए है। इसमें अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) पर होने वाले खर्च भी शामिल हैं।
- 19.07. **ईबीआर के जरिए लिए गए ऋण के लिए ब्याज की अदायगी:** प्रावधान पीएमएवाई (यू) स्कीम के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से जुटाए गए ऋण की ब्याज अदायगी के लिए है।
- 20. **दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम):** प्रावधान डी ए वाई-एनयूएलएम, गरीव की मजबूत जमीनी संस्थानों के सृजन के माध्यम के रूप में भी लाभकारी स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के अवसरों का उपयोग करने के लिए उन्हें सक्षम करने से गरीब की गरीबी और शहरी गरीब परिवारों के जोखिम को कम करने के उद्देश्य के लिए है। इस मिशन का उद्देश्य शहरी वेघरों को अत्यावश्यक सेवाओं से युक्त घर उपलब्ध कराना तथा शहरी रेहड़ी वालों की आजीविका का भी निराकरण करना है।
- 20.01. **केंद्रीय घटक:** प्रावधान स्थापना व्यय, मिशन निदेशालय में क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए और एनयूएलएम की योजना के लिए केंद्रीय घटक के लिए है।

- 20.02. **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक:** प्रावधान एनयूएलएम मिशन के तहत राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए है और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए पिछली योजनाओं के तहत राज्यों की चालू परियोजनाओं के तहत व्यय को पूरा करने के लिए है।
- 22. **अमृत अटल पुनरुज्जीवन और शहरी सुधार मिशन:** प्रावधान अमृत, यूआईडी सैटेलाइट और काउंटर मैग्नेट सिटी के लिए और राष्ट्रीय शहरी सुचना प्रणाली (एनयूआईएस), शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण योजना के लिए बनाया गया है।
 - 23. **स्मार्ट सिटी मिशन:** 22.01 22.02 प्रावधान 100 स्मार्ट शहरों के विकास और शहरी विकास क्षमता निर्माण के लिए है।
- 23.03. नवाचार, एकीकरण और धारणीयता के लिए नगरीय निवेश (सीआईटीआईआईएस): प्रावधान स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए एएफडी वित्तपोषित स्कीम के लिए है।
- 24. **स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) शहरी:** प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की योजना के लिए है। यह व्यय राष्ट्रीय स्वच्छता कोष और सकल बजटीय सहायता से वित्तपोषित होगा।